न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0–1, नोहर, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी –: **कुमकुम,**
R.J.S.(DJ Cadre)

विविध दीवानी (एन) CIS प्रकरण संख्या –: 65/2026

01. अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
02. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार शर्मा निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। ———प्रार्थीगण

बनाम

1. हर आम व खास
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दायाँ विंग, भूतल, जीवन निधि–1, भवानीसिंह रोड़ जयपुर राजस्थान 302005

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा **372** उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थिति :–

01. श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से।
02. हर आम व खास की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
03. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

–: निर्णय :–

दिनांक –: 24–07–2026

01. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–372 उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत विमला पत्नी जस्सुराम के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से अप्रार्थीगण हर आम व खास आदि के विरूद्ध दिनांक 24–03–2026 को प्रस्तुत किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विमला पत्नी जस्सुराम निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ की मृत्यु दिनांक 25–08–2023 को ग्राम गोरखाना में हो चुकी है और मृतका स्थाई रूप से ग्राम गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ की मूल निवासी थी। मृतका विमला के प्रार्थीगण विधिक वारिसान् है। मृतका विमला की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण उसके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है। मृतका विमला की मृत्यु के पश्चात् उसकी समस्त चल व अचल सम्पति पर प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है और मृतका विमला की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पति प्रार्थीगण को न्यागत हो चुकी है। मृतका विमला द्वारा अपने जीवन काल में अपनी कृषि भूमि का फसल बीमा रबी 2021 का अप्रार्थी सं. 2 बीमा कम्पनी से ऑनलाईन करवाया गया जिसके पॉलिसी सं. 040208210010598456 2 के तहत 2836.

30 रूपये प्रीमियम काटा गया। इसके पश्चात् मृतका के उक्त के.सी.सी. खाता में बीमा का क्लेम राशि 51,316.5/– रूपये जारी किया गया। मृतका द्वारा अपनी फसल बीमा पॉलिसी जारी करवाते समय भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोरखाना के बचत खाता के नंबर दर्ज करवाए गए थे जो मृतका की मृत्यु के बाद उक्त बचत खाता बंद करवा दिया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा मृतका का उक्त बैंक खाता बंद होने के कारण उक्त पॉलिसी की राशि का भुगतान प्रार्थीगण को देने से इंकार कर सक्षम न्यायालय से प्रमाण–पत्र लेकर आने का कहा और तभी मृतका विमला के फसल बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हो पाएगी। अतः प्रार्थीगण को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जयपुर के यहां मृतका विमला के खाता में जमा समस्त राशि दिलवाई जावें।

03. इस प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण हर आम खास के नाम से नोटिस जारी किए गए। हरआम खास की तामील, नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। मृतका के अन्तिम निवास स्थान व न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई एवम् तहसील नोहर में मुनियादी भी करवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया व न ही एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दायाँ विंग, भूतल, जीवन निधि–1, भवानीसिंह रोड़ जयपुर ओर से भी कोई उपस्थित नहीं आया।

04. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार से है –:

"आया प्रार्थीगण मृतका विमला के विधिक उत्तराधिकारी घोषित करवाकर उसके अनावेदक सं0 02 के यहां फसल पॉलिसी संख्या 040208210010598456 2 की क्षतिपूर्ति बीमा राशि 51,316.5 रूपये प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने के अधिकारी हैं ?"

05. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं को गवाह ए0ड0 1 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र विमला प्रदर्श–1, पॉलिसी रसीद प्रदर्श–2, सहायक निदेशक कार्यालय कृषि विस्तार नोहर द्वारा ई–हस्ताक्षरित लिस्ट प्रदर्श–3 को प्रदर्शित करवाया गया।

06. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवम् प्रलेखीय साक्ष्य से यह साबित है कि प्रार्थीगण मृतका विमला के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं और वे मृतका विमला के अप्रार्थी सं0 2 एग्रीकल्चर इंश्यारेंस कं0 के द्वारा जमा राशि मय ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। किसी भी व्यक्ति ने प्रार्थीगण के आवेदन का विरोध

नहीं किया है। अंत में यह प्रार्थना की कि प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

07. प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु पर न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है :–

08. विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने का भार प्रार्थीगण पर था जिसके तहत प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि प्रार्थीगण मृतका विमला के अप्रार्थी सं. 2 बीमा कम्पनी के यहाँ जमा क्षतिपूर्ति बीमा राशि मय ब्याज प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

09. इस सम्बन्ध में गवाह ए0ड0 1 अशोक कुमार शर्मा ने जरिए शपथ–पत्र सशपथ कथन किए हैं कि उनकी माता विमला की मृत्यु दिनांक 25–08–2023 को हो चुकी है। प्रार्थीगण मृतका विमला के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में असल मृत्यु प्रमाण पत्र विमला प्रदर्श–1 पॉलिसी रसीद प्रदर्श–2, सहायक निदेशक कार्यालय कृषि विस्तार नोहर द्वारा ई–हस्ताक्षरित लिस्ट प्रदर्श–3 को प्रदर्शित करवाया व ग्राम पंचायत कार्यालय गोरखाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी पेश की गई है। कृषि भूमि की फसल का बीमा जरिये एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी से किया हुआ था, मृतका विमला की मृत्यु के पश्चात् मृतका की कृषि भूमि का फसल बीमा क्लेम जारी किया गया। इसके पश्चात् मृतका की उक्त बीमा क्लेम से प्राप्त होने वाली राशि पर प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है। उक्त राशि एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी के पास जमा है व जिसे बीमा कंपनी ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में प्रार्थी पक्ष को देने से इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय से प्रमाण–पत्र की मांग की। मृतका विमला द्वारा कोई वसीयत नही की हुई है व प्रार्थीगण मृतका के प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारी होने के कारण एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी से उक्त बीमा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त राशि बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रार्थीगण को अदा करने से इनकार कर दिया है।

10. प्रार्थना पत्र व सदस्यता प्रमाण पत्र के अनुसार मृतका विमला के कुल 02 वारिस होना बताया गया है जो प्रार्थीगण अशोक कुमार शर्मा के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र से पूर्णतया साबित है। जिसका विरोध किसी के द्वारा नहीं किया गया है। मृतका विमला की मृत्यु दिनांक 25–08–2023 को होने की पुष्टि उसके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–01 से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध हर आम व खास को जारी किए गए नोटिस के सम्बन्ध में हर आम खास की तामील

नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई थी मृतका के अन्तिम निवास स्थान व न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई एवम् तहसील नोहर में मुनियादी भी करवाई गई, लेकिन प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध स्वरूप हर आम व खास की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया है तथा अप्रार्थी सख्या 2 एग्रिकल्चर इंश्यारेंस कंम्पनी जयपुर की तामील जारी की गई जो बाद तामील पेश होने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया और न ही प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

11. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मृतका विमला के विधिक वारिसान् एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बीमा **पॉलिसी संख्या 0402082100105984562 की राशि 51,316.5 रूपये** अनावेदक सख्या 2 एग्रिकल्चर इंश्यारेंस कंम्पनी जयपुर के पास जमा है। अप्रार्थी सं. 2 एग्रीकल्चर बीमा कम्पनी की ओर से प्राप्त क्षतिपूर्ति बीमा राशि मय ब्याज मृतका विमला के वैध वारिस होने के कारण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के अनुसार प्रार्थीगण विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतः विचारणीय बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है। अतः प्रार्थीगण चाहा गया अनुतोष पाने का अधिकारी है।

–: आदेश :–

12. परिणामतः प्रार्थीगण अशोक कुमार शर्मा आदि का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण अशोक कुमार शर्मा व सुभाषचन्द्र को अप्रार्थी संख्या 02 एग्रिकल्चर इंश्यारेंस कंम्पनी जयपुर द्वारा बीमा **पॉलिसी संख्या 0402082100105984562 से प्राप्त होने वाली राशि 51,316.5 रूपये मय ब्याज** प्राप्त करने के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करवाने के अधिकारी हैं। नियमानुसार न्याय–शुल्क प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

(कुमकुम)
अपर जिला न्यायाधीश सं0–1,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

13. निर्णय आज दिनांक 24–07–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमकुम)
अपर जिला न्यायाधीश सं0–1,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़